न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 45/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/82

प्रार्थीः—

1. विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी राजपुरोहितों की पोल आउवा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. विजयसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी राजपुरोहितों की पोल आउवा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल पता दाताफ्रुट्स बांगड़ कॉलेज के सामने श्रीराम अस्पताल के पास विद्यानगर पाली राज.
2. ग्राम पंचायत आउवा जरिये सरपंच तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रेवतसिंह केसरिया।

—: निर्णय :—

दिनांक : 28/11/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत आउवा द्वारा मिसल संख्या 360/2018—19 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 02.09. 2018 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है तथा जैर निगरानी आराजी पर उभयपक्ष का पुश्तैनी मकान आया हुआ है, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में खालसा गली, दक्षिण दिशा में निकास व आम रास्ता, पूर्व दिशा में राजुसिंह राजपुरोहित का मकान एवं पश्चिम दिशा में रावला गली स्थित है, उक्त भूमि पर उभयपक्ष का पूर्वजों के समय से सहआधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता भंवरसिंह की पत्नी रामकंवर, पुत्र विक्रमसिंह, विजयसिंह एवं पुत्रीयॉ सुमित्रा कंवर, कौशल्यिा कवंर है, जिनका भंवरसिंह के फौत होने के पश्चात 1/5 हक हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष कूटरचित दस्तावेज पेश कर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थी ने आधे अधुरे दस्तावेज पेश किये, ग्राम पंचातय द्वारा न तो पंचों को नियुक्त किया गया, न ही मौका देखा गया, बयान भी प्रिटेंड प्रारूप में है और न ही

अति. जिला कलक्टर पाली

प्रकरण में आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। बयानकर्ता महावीरसिंह की उम्र 63 वर्ष बतायी गई है जबकि उक्त गवाह की आधार कार्ड के अनुसार वास्तविक उम्र 33 वर्ष है। अप्रार्थी संख्या 1 पुश्तैनी मकान का केवल अकेले के पक्ष में उक्त पट्टा जारी करवा दिया। समस्त आदेशिकाए एक ही दिन में लिखी गई, ग्राम पंचायत ने पंचायतराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सगे भाई है और ग्राम पंचायत ने सह स्वामित्व के आधार पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि प्रार्थी को लगता है उक्त मकान में उनका हिस्सा आता है तो उन्हे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। पिता का देहान्त हो जाने पर प्रार्थी के पास अलग मकान होने से माता ने जैर निगरानी मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बनाने हेतु सहमति जाहिर की है। ग्राम पंचायत ने पंचायत राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा मौका रिपोर्ट पंचों द्वारा नियमों के तहत तैयार की गई है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत आउवा द्वारा मिसल संख्या 360/2018–19 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 02.09.2018 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी मकान पुश्तैनी है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है लेकिन उनकी माता की सहमति से जैर निगरानी मकान का पट्टा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया जो कि विधिनुसार है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त जैर निगरानी पट्टे की मिसल व बयान फार्म में अंकित तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि उक्त मकान पुश्तैनी है। इसके अतिरिक्त उभयपक्ष की यह स्वीकारोक्ति है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस यह तर्क दिये कि उक्त मकान बंटवाड़ें में अप्रार्थी के हिस्से में आया लेकिन उन्होनें इसकी ताईद में ऐसे कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किये। प्रकरण में यह स्वीकृत और प्रमाणित कथन है कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है और यदि कोई तथ्य उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया हो तो उस तथ्य को पुनः साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. साथ ही जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है और इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) WLC 168 (Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950 अनु.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

226, पट्टा प्रदान किया जाना–सम्पति पैतृक है तथा याची के साथ ही उसके अन्य जीवित भाईयों व बहिनों का हित (अधिकारी) इसमें है–याची इस भूमि पर पूर्ण रूपेण अपना ही अधिवास होने का दावा करता है, जिससे ग्राम पंचायत ने अकेले ही उसके नाम में, अन्य सह–स्वामियों के आक्षेपों के करने के बाद भी पट्टा जारी किया था–अभिनिर्धारित जब तक विभाजन नहीं हो जाता तथा अंशों का सीमांकन नहीं हो जाता अथवा अन्य सह–स्वामी सहमति नहीं दे देते, तब तक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है–अतः आदेश द्वारा इसको नामंजूर किया जाना उचित है–किसी हस्तेक्षप की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2024(5) WLC 210(Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950, अनु. 226–ग्राम पंचायत ने बी के पक्ष में पट्टा जारी किया था परन्तु निगरानी में इसे रद्द कर दिया गया–चुनौती–विवादित सम्पत्ति पैतृक है तथा स्वयं बी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है–अन्यथा भी यह एच, बी के पिता के नाम में थी जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री है–अतः एच की मृत्यु होने पर, यह पैतृक सम्पत्ति है–महज लम्बे समय से काबिज होने से पट्टा (स्वामित्व का दस्तावेज) बी को जारी नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी सम्पत्ति का जारी किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों की सुनवाई आवश्यक है, केवल एक व्यक्ति के पक्ष में बिना सभी पक्षकारों को सुने पट्टा जारी करना गलत है क्योंकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी वारिसानों के हित और अधिकार समान होते हैं, इसलिये न्यायसंगत निर्णय के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को अवसर देना आवश्यक होता है। सभी वारिसों को सुनना न्यायिक प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त है ताकि किसी का अधिकार हनन न हो।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत से प्राप्त जैर निगरानी पट्टे के रिकॉर्ड का अवलोकन करने यह प्रकट होता है कि मिसल की आदेशिका दिनांक 09.04.2018 के द्वारा तीन पंचों को मनोनीत किया जाकर मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर की बैठक दिनांक 09.04.2018 जिसमें कुल प्रस्ताव 16 पेज संख्या 1 से 5 तक अंकित है, जिसमें पेज संख्या 1 से 4 तक प्रस्ताव संख्या क्रमानुसार है परन्तु पेज संख्या 5 पर प्रस्ताव संख्या 15 और उससे पूर्व के पेज पर प्रस्ताव संख्या 16 अंकित है तथा पेज संख्या 1 से 4 के प्रत्येक प्रस्ताव पर कोरम के सदस्यों के हस्ताक्षर है जबकि पेज संख्या 5 प्रस्ताव संख्या 15 व 16 पर कोरम के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है अर्थात् रजिस्टर में प्रस्ताव संख्या 15 से पहले प्रस्ताव संख्या 16 अंकित है और उन पर कोरम के सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं है। इसी तरह मिसल की आदेशिका आगामी आदेशिक दिनांक 05.07.2018 के द्वारा प्रकरण में 1 माह का आपत्ति नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन बैठक कार्यवाही रजिस्टर में बैठक दिनांक 05.07.2018 को अवलोकन करने पर यह पाते है कि प्रस्ताव संख्या 4 का पश्चातवर्ती अंकन किया गया है, जो कि उक्त प्रस्ताव को देखने मात्र से प्रकट होता है, इसके अतिरिक्त उक्त प्रस्ताव में आपत्ति इश्तिहार नोटिस की म्याद एक माह लिखकर उसमें कांट–छांट कर 15 दिवस अंकित किया गया। मिसल की अन्तिम आदेशिका दिनांक 05.09.2018 के द्वारा नियम 157(ख) के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तहत जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। उक्त आदेशिका के सम्बन्ध में बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर यह पाते है कि पेज संख्या 30 पर प्रस्ताव संख्या 1 व 2 क्रमानुसार है जबकि प्रस्ताव संख्या 3 उसके पूर्व के पेज पर अंकित है अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा सबसे पहले प्रस्ताव संख्या 3 लिया गया उसके पश्चात् प्रस्ताव संख्या 1 व 2 लिया गया। इसके अतिरिक्त उक्त प्रस्ताव संख्या 3 पर कोरम के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। विभिन्न प्रस्तावों का पश्चातवर्ती अंकन स्पष्ट प्रतीत होता है, कई प्रस्तावों पर कोरम के अनिवार्य सदस्यों की अनुपस्थित है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 174 RRD 1984 State of Raj. vs Govind Ram के अनुसार Mutation-Attested by Upsarpanch-Held, power of attesting mutation, delegated to G.P. having jurisdiction-G.P. does not mean a Sarpanch or Upsarpanch or any Panch but a validly called meeting of G.P. having q uoram-To hold other-wise would mean that each and every Panch, Upsarpanch or Sarpanch of G.P. can at his own, without calling meeting and without quoram can attest any mutation any time anywhere-Mutation, cancelled. सामान्यतः किसी भी संस्थान द्वारा कोई भी प्रस्ताव क्रमानुसार लिया जाता है लेकिन प्रश्नगत प्रकरण में यह विचित्र स्थिति प्रकट होती है कि जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित प्रस्ताव बैठक कार्यवाही रजिस्टर में क्रमानुसार नहीं है और उक्त पट्टे से सम्बन्धित समस्तों प्रस्ताव को देखने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि उन सभी का पश्चातवर्ती अंकन किया गया है जिसमें कोरम के सदस्यों के हस्ताक्षर भी नहीं है, जो कि पंचायत राज नियमों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रादधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आवेदन पत्र पर कोई दिनांक अंकित है। सम्पूर्ण आदेशिका निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें सुविधानुसार आवेदनकर्त्ता का नाम व उससे सम्बन्धित जानकारी अंकित की हुई है। हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड है, जिसमें एक बयान रमेश सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी आउवा उम्र 65 वर्ष तथा दूसरा बनयान महावीर सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी आउवा उम्र 63 वर्ष द्वारा दिया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने उपरोक्त बयानकर्ता के आधार कार्ड पेश किये एवं उक्त दस्तावेज मिथ्या हो ऐसे कोई भी कथन विपक्षी अधिवक्ता द्वारा नहीं किये गये। उक्त दस्तावेज अनुसार रमेश सिंह पुत्र भंवरसिंह की वर्तमान में उम्र लगभग 43 वर्ष है एवं उक्त पट्टा वर्ष 2018 में जारी किया गया, उसके परिपेक्ष में रमेशसिंह की उम्र लगभग 36 वर्ष थी। इसी प्रकार दुसरे बयानकर्ता महावीर सिंह की आधार कार्ड दस्तावेज़ अनुसार वर्तमान में उम्र लगभग 27 वर्ष एवं उक्त पट्टा जारी करते समय उम्र लगभग 20 वर्ष थी परन्तु ग्राम पंचायत ने दोनों बयानकर्ता की ज्यादा उम्र बताते

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हुये उक्त भूमि पर पर अप्रार्थी संख्या 1 का 50 वर्ष पुराना कब्जा बताते हुये निर्धारित प्रारूप में बयान संकलित किये, जो कि पूर्णतया नियमों के विपरीत है। गवाहों के बयान व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से लिए जाने चाहिए, न कि पूर्वनिर्धारित फॉर्मेट में, क्योंकि इससे गवाहों की सच्चाई और स्वतंत्रता पर संदेह होता है। ऐसे प्रिंटेड बयानों से यह आशंका बनती है कि बयान निर्माण पूर्व से तैयार है, जो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रमाणिकता के सिद्धान्तों का उल्लंधन करता है। पूर्व से प्रिंटेड बयानों में नाम भरना, गवाह के स्वतंत्र बयान को प्रभावित करता है। हस्तगत प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया उस पर ग्राम पंचायत की मोहर नहीं है साथ ही नोटिस की पुश्त पर न तो सहजृदश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अंकित है और न ही दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत आउवा द्वारा मिसल संख्या 360/2018–19 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 02.09.2018 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत आउवा को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली